

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 01-के0यो0-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021...1583

प्रेषक,

जय सिंह, मा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-प्राचार्य,  
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,  
बोधगया।

पटना, दिनांक :- 08-06-2021

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय के पत्रांक 1574 दिनांक 07.06.2021 के आलोक में आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण सहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु आकलित व्यय 1,08,95,400/- (एक करोड़ आठ लाख पन्चानवें हजार चार सौ रुपये मात्र) में से तत्काल 50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) आपके कार्यालय हेतु वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष/ ईकाई कोड	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	कुल योग
1	2	3	4
01	52 01 मशीने उपस्कर	50,00,000	50,00,000
कुल योग :-		50,00,000	50,00,000

(पचास लाख रुपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ईकाई कोड/मॉग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
12. आवंटित राशि से क्रय की कार्रवाई सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के आलोक में की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01-के०यो०-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021...1583

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :- 08-06-2021

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01-के०यो०-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021...1583

प्रतिलिपि:- समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :- 08-06-2021

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01-के०यो०-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021...1583

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :- 08-06-2021

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01-के०यो०-क्षमतावर्धन (RSTI Gaya)-11/2021...1583

प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, आई०टी० सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :- 08-06-2021

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण